अपील सूचना अधिकार संख्या 36/2021 (GCMS 2021/57) RTI No. 212659536782939 श्री जयप्रकाश हरवानी—मकान नं. जे—157 पार्श्वनाथ सिटी, संगरिया पाल बाई पास रोड़, जोधपुर पिन—342013 **बनाम सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, कलक्ट्रैट, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.10.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जयप्रकाश हरवानी उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2021 से सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत बीस बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर पर कार्यवाही करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.02.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी। उसका प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित होने के कारण पत्रांक 227 दिनांक 17.02.2021 से उन्हें भिजवाया गया था :

1. राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्देश एफ2(67)पुर्न./64 दिनांक 05.02.1979 आपके विभाग को कब प्राप्त हुआ मय प्रमाण [illegible] सूचना दें।
2. जिस दिवस को यह नि[illegible] आ[illegible] विभाग को प्राप्त हुआ उस दिव[illegible] [illegible] दर्ज करने की प्रविष्टि प्रतिलिपि में प्रमाण दें।
3. उक्त निर्देशों को भेजने वाले अधिकारी का नाम, पद विभाग, जिला की मय प्रमाण सूचना दें।
4. उक्त निर्देश को प्राप्त करने के पश्चात आर.टी.ए. एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:24:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

		की धारा 2 व उसके उपबंधो के तहत इसे रखने की सूचना मय प्रमाण दें 5. उक्त निर्देश को प्राप्त करने के पश्चात आर.टी.ए. एक्ट की धारा 04 व उसके उपबंधों के तहत इसे रखने की सूचना मय प्रमाण दें। 6. उक्त निर्देश को अंतिम बार देखने वाले अधिकारी का नाम, पद विभाग, जिला की मय प्रमाण सूचना दें। 7. उक्त निर्देश के तहत आपके जिले/राज्य/विभाग में कुल कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया था मय प्रमाण सूचना दें। 8. उक्त निर्देश के तहत आपके विभाग/जिले/राज्य में कुल कितने प्रकरण लम्बित थे मय प्रमाण सूचना दें। 9. उक्त निर्देशों के तहत आपके विभाग/जिले/राज्य में कब–कब प्रकरणों का निस्तारण किया गया था मय प्रमाण सूचना दें 10. उक्त निर्देश के तहत आपके विभाग/जिले/राज्य में किन–किन गांवो, में प्रकरणों का निस्तारण किया गया था मय प्रमाण सूचना दें। 11. प्रशासन गांव की ओर 2011 कार्यक्रम के तहत उक्त निर्देश के तहत आपके विभाग/जिले/राज्य में कुल कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया था। 12. प्रशासन गांव की ओर 2011 कार्यक्रम के तहत उक्त निर्देश के तहत आपके विभाग/जिले/राज्य में जिन प्रकरणों का निस्तारण किया गया था उन अधिकारियों का नाम, पद, विभाग, जिला की सूचना उक्त प्रकरण निस्तारण पर हस्ताक्षर करने वाले के मय प्रमाण दें। 13. उपरोक्त [illegible] सूचना [illegible] के तहत आती है। मय प्रमाण सूचना दें। 14. राज्य सरकार द्वारा [illegible] (67)पुर्न दिनांक 05.02.1979 की प्रति मय प्रमाण दे। 15. उक्त निर्देश में कुल कितने पृष्ठ है मय प्रमाण सूचना दें 16. राज्यपाल द्वारा इस निर्देश पर हस्ताक्षर करने की सूचना मय प्रमाण दें।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:24:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

17. इस निर्देश को गजट में प्रकाशित करने संबंधी सूचना मय प्रमाण दें।
18. इस निर्देश की प्रतिलिपि सचिवालय के अभिलेखागार में सुरक्षित रखने की सूचना मय प्रमाण दें।
19. उक्त निर्देश की प्रतिलिपि राजस्व मंत्री को भेजने की सूचना मय प्रमाण दें।
20. राजस्व उपनिवेशन क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में दिनांक 22.09.2015 को मात्र राजस्व व उपनिवेशन मंत्री की अध्यक्षता में विधानसभा के कमेटी कक्ष में आयोजित बैंठक में उठाये गये बिन्दुओं की पालना के सम्बन्ध में दिनांक 04.12.2015 को राजस्व उपनिवेशन मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। कार्यवाही विवरण क्रमांक 1 के बिन्दु (vi)(vii) के तहत कुल कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया मय प्रमाण सूचना दें। जिलेवार सूचना दें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 53 दिनांक 12.03.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

उपरोक्त विषय में लेख है प्रसंगाधीन पत्रांक के साथ आपका आर.टी.आई. आवेदन पत्र दिनांक 12.02.2021 जो की सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय को हस्तांरित होकर दिनांक 22.02.2020 को प्राप्त हुआ। जिसकी बिन्दु[illegible] है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:24:39 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	वांछित [illegible]	प्रतिउत्तर
1	राज[illegible] [illegible] जारी निर्देश एफ2(67)पुन./[illegible] दिनांक 05.02.1979 आपके [illegible] को कब प्राप्त हुआ मय प्रमाण पत्र सूचना दें।	

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

		2	जिस दिवस को यह निर्देश आपके विभाग को प्राप्त हुआ उस दिवस को उसे रिसीट रजिस्टर में दर्ज करने की प्रविष्टि प्रतिलिपि में प्रमाण दें।		
		3	उक्त निर्देशों को भेजने वाले अधिकारी का नाम, पद विभाग, जिला की मय प्रमाण सूचना दें।	क्रम संख्या 1 ता 20 की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।	
		4	उक्त निर्देश को प्राप्त करने के पश्चात आर.टी.ए. एक्ट की धारा 2 व उसके उपबंधो के तहत इसे रखने की सूचना मय प्रमाण दें		
		5	उक्त निर्देश को प्राप्त करने के पश्चात आर.टी.ए. एक्ट की धारा 04 व उसके उपबंधों के तहत इसे रखने की सूचना मय प्रमाण दें।		
		6	उक्त निर्देश को अंतिम बार देखने वाले अधिकारी का नाम, पद विभाग, जिला की मय प्रमाण सूचना दें।		
		7	उक्त निर्देश के तहत आपके जिले/राज्य/विभाग में कुल कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया था मय प्रमाण सूचना दें।		
		8	उक्त निर्देश के तहत आपके विभाग/जिले/राज्य में कुल कितने प्रकरण [illegible] मय प्रमाण सूचना दें।		
		9	उक्त निर्देश के [illegible] आपके विभाग/जिले/राज्य में कब–कब प्रकरणों का निस्तारण किया गया था मय प्रमाण सूचना दें		

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:24:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

		10	उक्त निर्देश के तहत आपके विभाग/जिले/राज्य में किन–किन गांवो, में प्रकरणों का निस्तारण किया गया था मय प्रमाण सूचना दें।		
		11	प्रशासन गांव की ओर 2011 कार्यक्रम के तहत उक्त निर्देश के तहत आपके विभाग/ जिले/राज्य में कुल कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया था।		
		12	प्रशासन गांव की ओर 2011 कार्यक्रम के तहत उक्त निर्देश के तहत आपके विभाग/जिले/राज्य में जिन प्रकरणों का निस्तारण किया गया था उन अधिकारियों का नाम, पद, विभाग, जिला की सूचना उक्त प्रकरण निस्तारण पर हस्ताक्षर करने वाले के मय प्रमाण दें।		
		13	उपरोक्त समस्त सूचनाएं धारा 8(जे) के तहत आती है। मय प्रमाण सूचना दें।		
		14	राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश एफ2(67)पुर्न दिनांक 05.02.1979 की प्रति मय प्रमाण [illegible]		
		15	उक्त निर्देश में [illegible] किसी पृष्ठ है मय प्रमाण सूचना [illegible]		
		16	राज्यपाल द्वारा इस निर्देश पर हस्ताक्षर करने की सूचना मय प्रमाण दें।		

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:24:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

17	इस निर्देश को गजट में प्रकाशित करने संबंधी सूचना मय प्रमाण दें।	
18	इस निर्देश की प्रतिलिपि सचिवालय के अभिलेखागार में सुरक्षित रखने की सूचना मय प्रमाण दें।	
19	उक्त निर्देश की प्रतिलिपि राजस्व मंत्री को भेजने की सूचना मय प्रमाण दें।	
20	राजस्व उपनिवेशन क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में दिनांक 22.09.2015 को मात्र राजस्व व उपनिवेशन मंत्री की अध्यक्षता में विधानसभा के कमेटी कक्ष में आयोजित बैंठक में उठाये गये बिन्दुओं की पालना के सम्बन्ध में दिनांक 04.12.2015 को राजस्व उपनिवेशन मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। कार्यवाही विवरण क्रमांक 1 के बिन्दु (vi)(vii) के तहत कुल कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया मय प्रमाण सूचना दें। जिलेवार सूचना दें।	

-sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:24:39 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 12.03.2021 को दिया जा चुका है जिसके अनुसार वांछित सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं **कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर** ने अपीलार्थी को जो उत्तर दिया है, वह सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद [illegible] र हो।

यह आदेश आज दिनां[illegible]021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:24:39 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर